संख्या-3711/12-3-2013-100(64)/2012

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (यांत्रिक)
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: नवम्बर, 2013**

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सिंचाई विभाग की मार्डनाइजेशन ऑफ 25 टोटल 40 (लिफ्ट पम्प कैनाल)/33 के.वी.ए. फीडर ऑन 45 कैनाल (मैके.) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवमुक्त धनराशि में से रू0-26338 हजार की धनराशि डिसैंक्शन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्र संख्या-रा.कृ.वि.यो./679/लेखा-6/2013-14, दिनांक 30.9.2013 एवं शासनादेश संख्या-2434/12-3-2013-100(64)/2012, दिनांक 25.6.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2434/12-3-2013-100(64)/2012, दिनांक 25.6.2013 द्वारा अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0314-सिंचाई की योजनायें के मानक मद-42 अन्य व्यय में स्वीकृत धनराशि रू0-49862 हजार (रू0 चार करोड़ अट्ठानबे लाख बासठ हजार मात्र) में से रू0-26338 हजार (रू0 दो करोड़ तिरसठ लाख अड़तीस हजार मात्र) को डिसैंक्शन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के फलस्वरूप मानक मद-42-अन्य व्यय में स्वीकृत धनराशि रू0-49862 हजार के स्थान पर रू0-23524 हजार अंकित पढ़ा जाय।

4- उक्त डिसैंक्शन की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0-26338 (रू0 दो करोड तिरसठ लाख अड़तीस हजार मात्र) का आहरण कोषागार से न किया गया हो।

5- उक्त शासनादेश संख्या-2434/12-3-2013-100(64)/2012, दिनांक 25.6.2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-3711(1)/12-3-2013-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।

7- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।

10-वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग (यांत्रिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11-नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।

12-वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

13-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in